

न्यायालय: प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश—सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या—370 / 2026
बसमतिया थाना कांड संख्या— 04 / 2026

ओम प्रकाश मेहता एवं 03 अन्य..... आवेदकगण
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

16-03-2026 आवेदकगण/अभियुक्तगण 1.ओम प्रकाश मेहता, 2.राजो देवी, 3.सरस्वती कुमारी एवं 4. अंजली देवी की ओर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर बी0एन0एस0एस0 की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन, जो बसमतिया थाना कांड संख्या— 04 / 2026, अंतर्गत धारा—115(2), 126(2), 352, 351(2), 303(2), 76, 3(5) भा0न्या0सं0 से संबंधित है, को आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री किशोर कुमार दास एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद सूचिका प्रमिला देवी के अनुसार यह है कि दिनांक—06—01—2026 को शाम 5 बजे उसके दरवाजे पर रखा जलावन अभियुक्त ओम प्रकाश मेहता उठाकर ले जा रहा था। जब वह मना किया तो ओम प्रकाश मेहता गाली—गलौज कर कहने लगा की ये जलावन तुम्हारे बाप का है और मार—पिट करने लगा और मुझे पूरी तरीके से साड़ी उतारकर बेनग्न कर दिया इसके बाद उसके घर से उसके सभी लोग आ गए और उसे और उसके बच्चों को भी मारने लगे। सूचिका को अभियुक्तगण ने मेरे दरवाजे पर डंडा और रॉड लेकर पहुंच गए और डंडा और रॉड से मारा, जिसमे मुझे सिर में चोट लगी हुई है तथा गले से चाँदी का एक चैन नाक एवं कान से सोना छीन लिया गया। मारने के बाद जाते—जाते गन्दी गन्दी गालियाँ देने लगा और कहने लगा की जहाँ से हम कहते है वहाँ से जमीन छोड़कर भाग जाओ नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदकगण द्वारा इससे पूर्व कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन पत्र इस न्यायालय या फिर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियोजन की

कहानी बिल्कुल गलत, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदकगण के विरुद्ध लगाया गया आरोप पूर्णतया गलत व आधारहीन है। उक्त वाद बसमतिया थाना कांड सं०-०३/२०२६ का काउंटर है। चुरायी गयी वस्तु आवेदकगण के पास से बरामद नहीं हुई है। उभय पक्षों के बीच सुलह-समझौता हो गया है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों पक्ष आज न्यायालय में उपस्थित हैं और वे एक-दूसरे के विरुद्ध दर्ज कराये गये प्राथमिकी में जमानत आवेदन का विरोध नहीं करना चाहते हैं। जख्म भी साधारण प्रकृति की होने की बात एक-दूसरे के द्वारा कही गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। आवेदकगण को आदेश की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर गिरफ्तार होने अथवा न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर रू १०,०००/- (दस हजार रुपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र संबंधित न्यायालय में इस शर्त के साथ दाखिल करने पर कि आवेदकगण आरोप निर्माण तक प्रत्येक तिथि को सदेह उपस्थित रहेंगे एवं संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर धारा-४३८(२) द०प्र०सं० की शर्तों के अनुपालन करने पर, आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-

(मनोज कुमार तिवारी)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।